न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 103/2016

अपीलांट

कानाराम पुत्र समेलाजी जाति देवासी, निवासी दूधवट, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार रानीवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 16/01/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा वाद संख्या 39/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा दूधवट के खसरा नंबर 24 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम में से 0.24 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का संवत 2009 से लगातार बिना रोक–टोक से निरन्तर कब्जा काश्त है एवं मौके पर फसल बोई हुई है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व में अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नबर 41 रकबा 1.89 हैक्टेयर अपीलांट के कब्जे काश्त की आई हुई है। इसके लगतो–लगत वादग्रस्त आराजी आई हुई है। अपीलांट अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है एवं अपीलांट को कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी को मेरे नाम नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दी है। अपीलांट के

वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के संबध में 91 के नोटिस एवं रसीदे प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का व अन्य व्यक्तियो के बयान करवाये गये। उक्त बयानो में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना बताया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के संबध में अपीलांट द्वारा अभिलेखागार जालोर से पता किया तो बताया गया कि खसरा परिवर्तनशील एवं गिरदावारी की नकले समय समाप्त होने के कारण नष्टीकरण कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री का अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जो राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा दूधवट के खसरा नंबर 24 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम में से 0.24 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 24 रकबा 0.87 में से 0.24 हैक्टेर भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 41 रकबा 1.89 हैक्टेर के लगतो लगत आई हुई है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के संबध में अपीलांट द्वारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की है एवं इसके अतिरिक्त जुर्माना रसीदे प्रदर्श ई. एक्स 5 से ई.एक्स 8 जुर्माना की रसीदे प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त मूल नोटिस ई.एक्स 9 प्रकरण संख्या 28/13 प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलका, सोनाराम एवं स्वंय कानाराम के बयान करवाये। उक्त गवाहो ने अपने बयानो में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना ताईद किया है। इसके अतिरिक्त कालाराम 'संत' हाल पटवारी मेडा निवासी सिलासन तहसील रानीवाडा जिला जालोर के बयान करवाये गये। उक्त हल्का पटवारी जो कि एक राजकीय कर्मचारी है ने अपने बयानो में अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर 2009 से कब्जा काश्त होना ताईद किया है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में वादग्रस्त आराजी पर संवत 2009 से निरंतर कब्जा काश्त होना का अंकन किया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट एक अनपढ व्यक्ति होने का अंकन किया है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनपढ व्यक्ति होने के कारण एवं कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपीलांट के नाम न कर राजकीय खाते में दर्ज करने का अंकन किया है। वकील अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट ाक वादग्रस्त आराजी पर संवत 2009 से कब्जा काश्त होना का कथन किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा परिवर्तनशील एवं गिरदावारीयो की नकले समय समाप्त होने के कारण नष्टीकरण किये जाने का भी अंकन किया है। वकील अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकन किये कथनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त बिना रोक–टोक के अनवरत चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा वाद संख्या 39/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016को अपास्त किया जाता है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी मौजा दूधवट के खसरा नंबर 24 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम में से 0.24 हैक्टेर का खातेदार घोषित किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 103/2016

अपीलांट

कानाराम पुत्र समेलाजी जाति देवासी, निवासी दूधवट, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार रानीवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा वाद संख्या 39/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016को अपास्त किया जाता है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी मौजा दूधवट के खसरा नंबर 24 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम में से 0.24 हैक्टेर का खातेदार घोषित किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली